

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्रांक :-DOH/SS/01/2025 - पी.पी.एम्. - 47-

/पटना दिनांक-13.07.2026

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय :

राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षों के लिए कुल 655.295 लाख (छः करोड़ पचपन लाख उनतीस हजार पांच सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत राशि 163.6675 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख छियासठ हजार सात सौ पचास) रुपये के अधीन कुल 133.36307 लाख (एक करोड़ तैतीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ सात) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षों के लिए कुल 655.295 लाख (छः करोड़ पचपन लाख उनतीस हजार पांच सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत राशि 163.6675 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख छियासठ हजार सात सौ पचास) रुपये के अधीन कुल 133.36307 लाख (एक करोड़ तैतीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ सात) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-44, दिनांक 27.05.2025 के द्वारा राज्य स्कीम मद से चाय विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 तक दो वर्षों के लिए कुल 655.295 लाख (छः करोड़ पचपन लाख उनतीस हजार पांच सौ) रुपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 491.62750 लाख (चार करोड़ इकानवे लाख बासठ हजार सात सौ पचास) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल स्वीकृत राशि 163.6675 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख छियासठ हजार सात सौ पचास) रुपये के अधीन कुल 133.36307 लाख (एक करोड़ तैतीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ सात) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अतएव यह चालू योजना है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-44, दिनांक 27.05.2025 द्वारा स्वीकृत योजना अन्तर्गत चाय का नया क्षेत्र विस्तार घटक हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य 261.00 हे० के विरुद्ध 211.924 हे० की उपलब्धि प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 211.924 हे० के लिए ही आवश्यक राशि 130.86307 लाख (एक करोड़ तीस लाख छियासी हजार तीन सौ सात) रुपये सहित किसानों के प्रशिक्षण हेतु 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) रुपये कुल 133.36307 लाख

(एक करोड़ तैतीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ सात) रुपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इससे संबंधित जिलावार/घटकवार विवरणी अनुसूची-1 के रूप में संलग्न है।

4. चाय के क्षेत्र विस्तार अवयव अंतर्गत प्रति हेक्टेयर कुल अनुदान की राशि 2.47 लाख रुपये का 25 प्रतिशत 0.6175 लाख रुपये द्वितीय किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगाये गये पौधों के 90 प्रतिशत पौधा जीवित रहने के उपरान्त प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के भौतिक सत्यापनोपरांत संबंधित जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। चाय की खेती अंतर्गत प्रति हेक्टेयर 15556 पौधे लगाये जाते हैं। अतएव प्रति हेक्टेयर 15556 का 90 प्रतिशत यानि 14000 पौधे जीवित पाये जाने पर द्वितीय किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

5. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा उद्यान निदेशालय के पत्रांक-1688 दिनांक-23.06.2025 द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

6. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-44, दिनांक-25.05.2025 की शेष कंडिकाएं एवं शर्तें मूल यथावत् रहेंगी।

7. उद्यान निदेशालय द्वारा स्वीकृत अन्य योजनाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की राशि का पूर्ण व्यय किये जाने के कारण योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि सामान्य मद अंतर्गत ली जा रही है।

8. योजना अन्तर्गत स्वीकृत राशि की निकासी संलग्न अनुसूची-02 के आलोक में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा संबंधित कोषागार से BTC Form-25 पर CFMS 2.0 के विहित रीति से वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. योजना कार्यान्वयन के क्रम में यथावश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा वित्तीय सीमा के अधीन किया जायेगा।

10. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी निदेशक उद्यान, बिहार होंगे। निदेशक उद्यान समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा स्वयं करेंगे।

11. योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:-

(राशि लाख रु० में)		
बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष 119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें, माँग संख्या 01, उप शीर्ष 0101- उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401001190101, विषय शीर्ष - 0101-3301 सब्सिडी।	11578.00	133.36307
मुख्य शीर्ष "2401-फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष - 00, लघु शीर्ष 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या 01, उप शीर्ष - 0130 उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007890130, विषय शीर्ष - 0130-3301 सब्सिडी।	2240.00	0.00
मुख्य शीर्ष "2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष- 00, लघु शीर्ष 796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0152 - उद्यान विकास योजना, विपत्र कोड 01-2401007960152, विषय शीर्ष 0152-3301 सब्सिडी।	0.00	0.00
कुल	13818.00	133.36307

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 तथा पत्रांक-201/वि० दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में चालू योजना के रूप में योजना कार्यान्वयन हेतु राशि के निकासी एवं व्यय के प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- DOH/SS/01/2025 के पृष्ठ संख्या-58/टि० पर दिनांक-09.07.2026 को प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकर, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या - DOH/SS/01/2025 के पृष्ठ संख्या-56/टि० पर दिनांक-03.07.2026 को प्राप्त है, जिसकी डायरी संख्या-441 दिनांक-03.07.2026 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- DOH/SS/01/2025 - पी०पी०ख० - 47 - /पटना दिनांक - 13.07. 2026

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकर (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- DOH/SS/01/2025 - पी०पी०ख० - 47 - /पटना दिनांक - 13.07. 2026

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- DOH/SS/01/2025 - पी०पी०ख० - 47 - /पटना दिनांक - 13.07. 2026

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- DOH/SS/01/2025 - पी०पी०ख० - 47 - /पटना दिनांक - 13.07. 2026

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- DOH/SS/01/2025 - आ.पी.एम.०-५७ - पटना दिनांक - १३.०७.२०२६

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक/संबंधित उप निदेशक उद्यान/संबंधित, जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित, सहायक निदेशक उद्यान/संबंधित, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/ मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :- DOH/SS/01/2025 - आ.पी.एम.०-५७ - पटना दिनांक - १३.०७.२०२६

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल से भेजने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची - 01

चाय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धि के आलोक में द्वितीय किस्त का घटकवार एवं जिलावार राशि का विवरण।

(भौतिक हे०/संख्या में/वित्तीय लाख रु० में)										
क्र० सं०	जिला का नाम	कोटि	चाय का क्षेत्र विस्तार योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धि के आधार पर द्वितीय वर्ष में देय अनुदान की राशि				Training Programme to Planters		कुल योग	
			भौतिक (हे० में)	वित्तीय	भौतिक (संख्या में)	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	जिला उद्यान कार्यालय, किशनगंज	सामान्य जाति	178.160	110.01380	1	2.50000	179.160	112.51380		
		अनुसूचित जाति	28.564	17.63827	0	0.00	28.564	17.63827		
		अनुसूचित जनजाति	3.400	2.09950	0	0.00	3.400	2.09950		
2	जिला उद्यान कार्यालय, पूर्णिया	सामान्य जाति	1.80	1.11150	0	0.00	1.800	1.11150		
कुल			211.924	130.86307	1	2.50000	212.92400	133.36307		

बिजय कुमार पंडित

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची :- 02

चाय विकास योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2026-27 अन्तर्गत कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार एवं श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण

क्र० सं०	जिला/कार्यान्वयन एजेन्सी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य			
		सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल योग (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	जिला उद्यान पदाधिकारी, किशनगंज	132.25157	0.000000	0.000000	132.25157
2	जिला उद्यान पदाधिकारी, पूर्णिया	1.11150	0.00	0.00	1.11150
कुल		133.36307	0.000000	0.000000	133.36307

बिजय कुमार पंडित

निदेशक उद्यान, बिहार, पटना

(अभिषेक कुमार)